



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 787]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 30, 2012/वैशाख 10, 1934

No. 787]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 30, 2012/VAISAKHA 10, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2012

का.आ. 946(अ).—केन्द्रीय सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 1097 (अ), तारीख 4 अगस्त 2005 द्वारा पश्चिमी बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 34 के 14.400 कि.मी. से 452.700 कि.मी. (कोलकता - दलखोला सेक्शन) तक के खण्ड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् “प्राधिकरण” कहा गया है) को सौंपा है ;

और प्राधिकरण ने उक्त अधिनियम की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में मैसर्स फरक्का - रायगंज हाईवेज लिमिटेड, जो 26.11.2009 को प्रस्तुत की गई बोलियों का सफल बोलीदाता है, और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय हिनकोन हाउस, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, विखरोली (पश्चिम) मुम्बई - 400083, भारत में है (जिसे इसमें इसके बाद “रियायतग्राही” कहा गया है), के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 34 के 295.000 कि.मी. से 398.000 कि.मी. फरक्का - रायगंज सेक्शन तक (जिसे इसमें इसके पश्चात् “उक्त खण्ड” कहा गया है) को चार लेन के विभाजित कैरिजवे के रूप में विकसित करने, प्रचालन और अनुक्षण के लिए करार किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त करार कहा गया है)।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् “नियम” कहा गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,

1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त खण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन, निवेशित पूंजी पर ब्याज, उचित लाभ, यातायात का परिमाण तथा प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच हुए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, यह अधिसूचित करती है कि उक्त खण्ड के उपयोग के लिए यांत्रिक यानों पर चार या अधिक लेन के खण्डों के उपयोग हेतु निम्न सड़क खण्ड की लम्बाई के लिए सारणी 1 के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट दर पर शुल्क (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" कहा गया है) उद्गृहीत और संग्रहीत किया जाएगा और पुलों/संरचना/बाइपास, जिनकी लागत पचास करोड़ या अधिक है, का उपयोग करने वाले नीचे सारणी 1 और 2 में विनिर्दिष्ट प्रकार के यानों पर सारणी सं. 2 में विनिर्दिष्ट आधार दरों पर शुल्क उद्गृहीत और संग्रहीत किया जाएगा, और वाणिज्यिक प्रचालन या इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, जो भी पश्चात्पूर्ती हो, करार में विनिर्दिष्ट अवसान की तारीख तक शुल्क का संग्रहण करने तथा उसे प्रतिधारित के लिए उक्त रियायतग्राही को प्राधिकृत करती है .

सारणी 1

यान का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. आधार दर (रूपये में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्का मोटर यान	0.65
हल्के वाणिज्यिक यान, हल्के माल यान अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
भारी निर्माण मशीन (एचसीएम) अथवा मिट्टी खोदने के उपकरण (इएमइ) अथवा मल्टी एक्सल यान (एमएवी) (तीन से छह धुरी वाले)	3.45
बहुत बड़े आकार वाले यान (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

सारणी II

फीस की आधार दर (प्रति यान प्रति फेरा)					
स्थायी पुल, या सुरंग की लागत (करोड़ रुपये में)	कार, जीप, वैन या हल्का मोटर यान	हल्का वाणिज्यिक यान, हल्का माल यान या मिनी बस	ट्रक या बस	भारी निर्माण मशीनरी या अर्थ मूविंग उपकरण या बहुधुरीय यान	विशाल आकार यान
10 से 15	5	7.50	15	22	30
प्रत्येक अतिरिक्त पांच करोड़ रुपये या उसके भाग के लिए, पंद्रह	1	1.50	3	4.50	6

करोड़ रुपए से अधिक और एक सौ करोड़ रुपये तक					
प्रत्येक अतिरिक्त पांच करोड़ रुपये या उसके भाग के लिए, एक सौ करोड़ रुपये से अधिक और दो सौ करोड़ रुपये तक	0.75	1.15	2.25	3.40	4.50

टिप्पण :-

1. इसके नीचे उद्गृहीत और संग्रहीत फीस निम्नलिखित टोल प्लाजाओं पर ऐसे टोल प्लाजाओं के लिए विनिर्दिष्ट दूरी के लिए, शोध्य और संदेय की जाएगी।

पथकर प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए फीस संदेय है
297.867 कि.मी., लक्ष्मीपुर गांव के पास, मालदा जिले में	47.75
351.440 कि.मी, चखसहरदी गांव के पास, मालदा जिले में	43.38

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाईपास और संरचना के उपयोग के लिए जिसकी लागत नीचे विनिर्दिष्ट की गई है निम्नलिखित टोल प्लाजा पर भी शोध्य और संदेय की जायेगी।

टोल प्लाजा की अवस्थिति (चैनेज)	लम्बाई (कि.मी. में) और बाइपास/संरचना की लागत (करोड़ रुपये में) जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क अदा करना होगा	
	लम्बाई	लागत
297.867 कि.मी. लक्ष्मीपुर गांव के पास, मालदा जिले में	9.05	165.00
	2.24	50.00

3. वर्ष 2011-12 के लिए, स्थानीय निजी यातायात के संबंध में मासिक पास की दर 190.00 रुपये (एक सौ नब्बे रुपये मात्र) है जो, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक वर्ष पुनरीक्षण के अधीन है।

4. राजमार्ग सेक्शन पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर प्रदान किये जाएंगे, अर्थात् :-

संदेय रकम	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए फीस का डेढ़ गुणा	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास या अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय फीस की रकम का दो तिहाई	पचास या उससे अधिक	संदाय की तारीख से एक मास

5. जो यांत्रिक यान नियमों के अधीन अपने प्रवर्ग के लिए निर्धारित अनुज्ञात भार की अपेक्षा अधिक भार से लदे हुए होंगे उन्हें उन दरों पर शुल्क का संदाय करना होगा जो उनसे अगली उच्च श्रेणी के यानों के लिए लागू होता है और उन्हें तब तक राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि ऐसे यांत्रिक यान से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

6. यांत्रिक यानों के प्रवर्ग, उनके लिए अनुज्ञात भार, छूटप्राप्त यानों के प्रवर्ग, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।

7. उक्त नियम के नियम 12 के अनुसार, उपयोक्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

8. फीस का पुनरीक्षण उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक रूप से किया जाएगा परंतु वह पूर्ववर्ती पुनरीक्षण की तारीख से छः मास की अवधि के भीतर नहीं किया जायेगा।

[फा. सं. भाराप्र/13013/619/11-12/सीओ/जीसी फरक्का - रायगंज (295-398) बीओटी]

बी. बी. मोहपात्रा, निदेशक

S.O. 94
Minis
and
sect
Cer
45
W
t

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 2012

S.O. 946(E).—Whereas by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1097 (E), dated the 4th August, 2005, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from kilometer 14.400 to kilometer 452.700 (Kolkata to Dalkhola section) of National Highway No. 34 in the State of West Bengal to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, pursuant to the provision of section 14 of the said Act, the Authority has entered into an Agreement (hereinafter referred to as said agreement) with M/s Farakka - Raiganj Highways Limited, having its registered office at Hinson House, Lal Bahadur Shastri Marg, Vikhroli (West) Mumbai, 400083, India, (hereinafter referred to as the "Concessionaire"), the successful bidder for bids submitted on 26.11.2009 for the development of Farakka - Raiganj section from Km 295.000 to Km 398.000 on National Highway No. 34 (hereinafter referred to as the "said section") to four lane divided carriageway and operation and maintenance of the said section.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "Rules"), the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the agreement entered into between the authority and the concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of the said section at the rate specified in columns (2) of the Table 1 for net road section length for use of the four and more lane sections (hereinafter referred to as "base rate") and at the base rates specified in the Table No.2 for bridges/structure/ bypass costing Rupees Fifty crore or more on the Type of Vehicles specified in Table 1 and 2 below, and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the date of commercial operation or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement;

1525 GZ/12-2

Table 1

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (three to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

Table 2

Base rate of fee (Rupees per vehicle per trip)					
Cost of permanent bridge, or tunnel (Rupees in crore)	Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	Truck or Bus	HCM, EME or MAV	Oversized Vehicle
10 to 15	5	7.50	15	22	30
For every additional Rupees five crore or part thereof, exceeding Rupees fifteen crore and up to Rupees one hundred crore.	1	1.50	3	4.50	6
For every additional Rupees five crore or part thereof, exceeding Rupees one hundred crore and up to Rupees two hundred crore.	0.75	1.15	2.25	3.40	4.50

Notes: -

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for the distance specified for such Toll Plaza:

Location of Toll Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable
Km 297.867, near Lakshmipur village in Malda District	47.75
Km 351.440, near Chakseherdi village in Malda District	43.38

54

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypass and structure, cost of which is specified hereunder, at the following Toll Plaza:

Location of Toll Plaza (chainage)	Length (in km) and Cost of bypass/structure (in Rupees crore) for which additional fee is payable	
	Length	Cost
Km 297.867, near Lakshmipur village in Malda District	9.05	165.00
	2.24	50.00

3. The rate of monthly pass for local personal traffic is Rs. 190.00 (rupees One Hundred Ninety only) for the year 2011-12 which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely.

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys or more	Fifty or more	One month from date of payment

5. Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the Rules, shall be liable to pay fee at such rates which is applicable for the next higher category of the vehicles and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

6. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.

7. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.

8. The fee rates shall be revised annually in accordance with the Rule 5 of the said rules provided that no revision shall be effected within six months.

[F. No. NHAI/13013/619/11-12/CO/GC Farakka - Raiganj (295-398) BOT]

B.B. MOHAPATRA, Director